

15

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर

समक्ष - एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 449-दो/2004 - विरुद्ध - आदेश दिनांक 29-11-2003- पारित द्वारा - आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण नम्बर 67/2002-03 निगरानी

नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह रघुवंशी
ग्राम मढ़ना खिरिया तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

1- सोमा पुत्र भौंदा हरीजन ग्राम मढ़ना खिरिया
तहसील व जिला अशोकनगर

2- म०प्र०शासन

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के०के०द्विवेदी)

(अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री वाई.एस.भदौरिया)

(अनावेदक क-2 के पैनल लायर श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 2-11-2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा मामला क्रमांक 67/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2003 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सार यह है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार अशोकनगर को आवेदन देकर बताया कि ग्राम मढ़ना खिरिया की भूमि सर्वे नंबर 139 रकबा 1.515 हैक्टर (आगे विवादित भूमि लिखा है) पर पिछले 10-12 साल से कब्जा चला आ रहा है, इसलिये इस भूमि को व्यवस्थापित किया जावे। नायब तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 129/94-95 अ-19 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक

Mu

R/S

14-6-1995 पारित करके विवादित भूमि आवेदक को व्यवस्थापित कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क-1 ने अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 77 अपील/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27-3-2000 से नायव तहसीलदार अशोकनगर का आदेश दिनांक - 14-6-1995 निरस्त कर दिया। आवेदक ने इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने मामला क्रमांक 67/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2003 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी के आधारों पर हितबद्ध पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि नायव तहसीलदार ने जाँच में आवेदक का 10-12 वर्षों से विवादित भूमि पर कब्जा होना व खेती करना पाया है पटवारी भले ही आठ नौ सालों से कब्जा होना बता रहा है पटवारी नया था उसे जानकारी नहीं थी गाँव वालों से अन्दाज में पूछताछ करके पटवारी ने आठ नौ सालों से कब्जा होना लिखा है किंतु वास्तविक कब्जा साक्ष्य के कथनों से 10-12 वर्ष का प्रमाणित हुआ है। विज्ञप्ति सही जारी हुई है। लिपिक वर्गीय कर्मचारी से तारीख आदि न डालने की गलती हो सकती है जिसके लिये किसान दोषी नहीं है। आवेदक भूमि व्यवस्थापन का पात्र है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की है। अनावेदकगण के अभिभाषकों ने बताया है कि जब इस्तहार का प्रकाशन दोषपूर्ण है और गाँव वालों को व्यवस्थापन की जानकारी नहीं दी गई है एवं ग्राम पंचायत से अभिमत नहीं लिया गया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग का आदेश सही होने से निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन करने एवं तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के परिशीलन करने पर स्थिति यह है कि नायव तहसील अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 129/94-95 अ-19






में पारित आदेश दिनांक 14-6-1995 से विवादित भूमि 1.515 हैक्टर आवेदक को व्यवस्थापित की है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 में स्पष्ट प्रावधान है कि 0.500 हैक्टर से अधिक भूमि का व्यवस्थापन नहीं किया जावेगा एवं भूमि व्यवस्थापन के पूर्व यह देखा जावेगा कि भूमि कौनसे से मेढ़िया कृषक द्वारा सुविधा-जनक ढंग से जोती जा सकेगी एवं कृषि करने में कौन कृषक व्यवस्थापन का पात्र है। भूमि वन्दन / व्यवस्थापन के पूर्व सार्वजनिक प्रयोग के उद्देश्य से (ग्रामसभा) ग्राम पंचायत का अभिमत लिया जाना आवश्यक है अथवा ग्राम के दो तिहाई बासिन्दों की सहमति लेना चाहिये, किन्तु नायव तहसीलदार ने नियमों के विरुद्ध भूमि व्यवस्थापन किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 77 अपील/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27-3-2000 से नायव तहसीलदार अशोकनगर के आदेश दिनांक 14-6-1995 को ठीक ही निरस्त किया है जिसके कारण आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने मामला क्रमांक 67/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2003 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के आदेश दिनांक 27-3-2000 में एवं आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 29-11-2003 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा मामला क्रमांक 67/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2003 विधि अनुस्यू पाने के कारण यथावत् रखा जाता है।




(एम०के०सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर